[2022] 14 एससीआर 973,

सुनिता बर्मन

बनाम

द कमीशनर, एम.पी. हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और अन्य

(सिविल अपील नं. 7068 of 2022)

14 अक्टूबर, 2022

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड और हिमा कोहली, न्यायमूर्तिगण]

पारिवारिक पेंशन - सेवानिवृत्ति देयक - अधिकार प्राप्ति - उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ ने रिट अपील में उस आदेश को उलट दिया जो एकल जज द्वारा रिट याचिका में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी नंबर 1-उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ ने रिट अपील में ऐसे आदेश को उलटा दिया जिसके अंतर्गत एकल जज ने रिट याचिका में प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलको उसके पति की मौत पर उसे पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देने के लिए निर्देश दिया था - मुद्दा इस बारे में था कि क्या प्रतिवादक के स्वर्गीय पति प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलके एक नियमित कर्मचारी थे और यदि नहीं, क्या प्रतिवादक अभी भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकारी होती है अगर स्वर्गीय कर्मचारी प्रतिवादी नंबर 1- आवास मंडलके संस्थान में उसकी मौत तक एक कार्य शुल्क कर्मचारी रहे थे - निष्कर्ष: प्रतिवादक के स्वर्गीय पति प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलके नियमित कर्मचारी नहीं थे - वह आवास मंडलके संस्थान में उसकी मौत तक कार्य शुल्क कर्मचारी रहे थे - कार्य शुल्क संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित रिक्तता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलको उसके कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के दायरे में लाकर पेंशन का लाभ देना पड़ा और उन्हें पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए उस योजना का सदस्य बनने का विकल्प दिया गया - चूंकि उसके स्वर्गीय पति ने उस योजना का चयन नहीं किया था, प्रतिवादक प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलसे उसकी मौत पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकती है - मध्य प्रदेश** *कार्यभारित* ***और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों भर्ती और सेवा नियम, 1975 - *कार्यभारित और आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों सुविधा लाभ नियम, 1962 -* ***मध्य प्रदेश*** *कार्यभारित* ***और*** *आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों अवकाश नियम, 1977*

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. 15th सितंबर, 2022 को दी गई एक हलफनामा प्रतिवादी नं.1-आवास मंडलकी तरफ से दायर की गई है जिसमें अंतर्गत बताया गया है कि 2nd जुलाई, 2015 के आदेश की सामग्री, जिसमें आवास मंडलके वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत विकल्प प्रदान की गई थी, सभी संबंधित लोगों को सूचित किया गया था, जैसा कि उसी आदेश के अंत में अंक No.12 पर दिए गए निर्देश में बताया गया था, जिससे यह मांग की गई थी कि यह सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाए। हलफनामा आगे कहता है कि उक्त आदेश के प्रतिक्रिया में, आवास मंडलके सभी वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों से आवश्यक विकल्प मांगने पर, 48 ऐसे कर्मचारियों में से केवल 16 ने NPS का लाभ उठाने का विकल्प चुना। उक्त आदेश की धारा 8 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि अगर कोई कर्मचारी पेंशन का विकल्प चुनना चाहता है, तो वह अपना विकल्प प्रदान कर सकता है और उसके बाद, उसकी देय सैलरी का 10% प्रति माह उसके खाते से कटोत्रा किया जाएगा और प्रतिवादी नं.1-आवास मंडलप्रति माह उस राशि को मेल करने के लिए अपना हिस्सा योगदान करेगा। इस प्रकार, प्रतिवादी नं.1-आवास मंडलके वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया एकमात्र विकल्प था कि 02nd जुलाई, 2015 के आदेश में अनुच्छेद 8 में उल्लिखित विकल्प का अभ्यास करें, अर्थात, NPS। हालांकि, रेकॉर्ड के अनुसार, उसके जीवन काल में, अपीलकर्ता के पति ने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना। [अनुच्छेद 12]

2.1. अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति उनकी मृत्यु की तारीख 26th अप्रैल, 2016 तक एक कार्य पर आधारित कर्मचारी रहे थे। उनकी सेवाओं को नियमित रूप से मान्यता नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख की गई कार्यालय की आदेश तारीख 29th अक्टूबर, 1997 में उल्लिखित था कि अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति की सेवाओं को नियमित रूप में स्वीकृत किया गया था, यह गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है, जैसा कि उक्त आदेश के पहले अनुच्छेद से स्पष्ट होता है जिसमें बताया गया है कि 26th मई, 1974 से 30th जून, 1981 तक दैनिक वेतन मुस्टर रोल कर्मचारियों को कार्य पर आधारित संस्थानों में नियुक्त किया जा रहा था और इसके आगे, उन्हें M.P. कार्य पर आधारित और आकस्मिक भुगतान प्राप्त कर्मचारियों की भर्ती और सेवा नियम, 1977 लागू किया गया। हालांकि, उपर्युक्त नियम को प्रतिवादी नंबर 1 - आवास मंडलद्वारा कभी अपनाया नहीं गया था और न ही इसे उसके कार्य पर आधारित कर्मचारियों तक विस्तारित किया गया। कार्य पर आधारित स्थापनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की स्थितियों से संबंधित रिक्तता को जानते हुए, प्रतिवादी नंबर 1-आवास मंडलके निदेशकों की बोर्ड ने विचार किया और 6th अप्रैल, 2015 को उक्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए NPS के दायरे में लाने का निर्णय लिया और उन्हें उक्त योजना का सदस्य बनने का और पेंशन का लाभ प्राप्त करने का विकल्प दिया गया। चूंकि उनके स्वर्गीय पति ने उक्त योजना का विकल्प चुनने का निर्णय नहीं लिया था, इसलिए

अपीलकर्ता उनकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की भुगतान का दावा नहीं कर सकती। [अनुच्छेद 14]

2.2. अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति प्रतिवादी नं.1 - आवास मंडलके नियमित कर्मचारी नहीं थे। वह अपनी मृत्यु की तारीख तक आवास मंडलके संस्थान में एक कार्य शुल्क कर्मचारी के रूप में रहे थे। इसी स्थिति में सेवा करते हुए भी, अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति ने 02nd जुलाई, 2015 के आदेश के अनुसार प्रतिवादी नं।1 - आवास मंडलके कार्य शुल्क कर्मचारियों के लिए उपलब्ध राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत पेंशन का विकल्प चुन सकते थे। लेकिन उसने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना। इसलिए, अपीलकर्ता को प्रतिवादी नं।1- आवास मंडलसे पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। [अनुच्छेद 15]

प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2019) 10 SCC 516 : [2019] 11 SCR 1075 - पृथक किया गया।** *केसर चंद बनाम पंजाब राज्य* **1988 SCC ऑनलाइन P&H 338 - संदर्भित किया गया।**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2019] 11 SCR 1075 पृथक किया गया अनुच्छेद 4

नागरिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: नागरिक अपील सं। 7068 वर्ष 2022 का।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य सीट, जबलपुर में 23.01.2020 की तारीख के निर्णय और आदेश से लेखापरीक्षा अपील सं। 1600 वर्ष 2018 में।

प्रथ्वी राज चौहान, श्रीमती प्रिया शर्मा, अरूप बनर्जी, वकील अपीलकर्ता के लिए।

सौरभ मिश्रा, AAG, आर. सी. मिश्रा, वरिष्ठ वकील, इलिन सरस्वत, श्रीमती अनन्या मिश्रा, महेंद्र कुमार, श्रीमती इल्मा सैफी, रजनीश कुमार झा, श्रीमती मृणाल गोपाल एल्कर, श्रीमती अनुराधा मिश्रा, अंकित मिश्रा, वकील प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया गया।

हिमा कोहली, न्यायमूर्ति

1. अपीलकर्ता - स्व. मुन्ना लाल बर्मन की विधवा, 23rd जनवरी, 2020 की तारीख के निर्णय से परेशान है, जिसे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, प्रमुख सीट, जबलपुर ने लेखापरीक्षा अपील संख्या 1600 of 2018 में पास किया, जिससे 06.09.2018 की तारीख का आदेश पलट दिया गया था, जिसे विद्यमान एकल न्यायाधीश ने लेखापरीक्षा याचिका संख्या

95 of 2007 में पास किया था, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी संख्या1- म. प्र. आवास और अधारभूत विकास बोर्ड को उसके पति की मौत पर पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था।

2. मामले के स्वीकृत तथ्य यह हैं कि 28th अप्रैल, 1977 को, मुन्ना लाल बर्मन, अपीलकर्ता के पति, को प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड ने दैनिक मजदूरी पर मुस्तर रोल कर्मचारी के रूप में रोजगार पर लिया था। 29th अक्टूबर, 1997 की तारीख के कार्यालय आदेश के माध्यम से, उसे आवास बोर्ड के कार्य प्रभार संस्थान में नियुक्त किया गया। संस्थान में कार्य करते हुए, मुन्ना लाल बर्मन का निधन 26th अप्रैल, 2016 को हो गया। 01st, 2016 और 09th सितंबर, 2016 को, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड से पारिवारिक पेंशन की अनुदान के लिए आवेदन दिए, जिसे 14th अक्टूबर, 2016 की तारीख के पत्र के माध्यम से अस्वीकृत कर दिया गया, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि कार्य प्रभार संस्थान में काम कर रहे कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अनुदान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस निर्णय से परेशान होकर, अपीलकर्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, प्रमुख सीट, जबलपुर में लेखापरीक्षा याचिका संख्या 95 of 2017 पंजीकृत की, जिसमें उसके पति की मौत पर पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ, ग्रैच्युटी आदि के अनुदान की प्रार्थना की गई। यह याचिका विद्यमान एकल न्यायाधीश द्वारा, 06th सितंबर, 2018 की तारीख के निर्णय के माध्यम से स्वीकार की गई और प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड को समय सीमा में सेवानिवृत्ति लाभ और पारिवारिक पेंशन तय करने और पारिवारिक पेंशन की बाकी राशि के साथ ब्याज सहित जारी करने के लिए निर्देशित किया गया। लेखापरीक्षा याचिका को स्वीकार करने के लिए विद्यमान एकल न्यायाधीश के सामने जो कारण रहे, वे निम्नलिखित हैं :-

> 12. वर्तमान मामले में, 29.10.1997 की नियुक्ति के आदेश से स्पष्ट है कि म.प्र. कार्य-प्रभारित और आकस्मिक भुगतान कर्मचारी नियमों को स्व. मुन्नालाल के मामले में लागू किया गया था। म.प्र, गृहा निर्माण मंडल विनियमान, 1998 के विनियम 5(डी) में प्रावधान है कि मंडल के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-संगत अवकाश लाभ प्रदान करना 01.07.1973 से प्रभावी होगा जिसे म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार नियमित किया जाएगा।
>
> 13 म.प्र. आवास और अधारिक विकास बोर्ड ने 2015 के विनियमान को अपनाया है, जिसे राज्य सरकार ने आदेश संख्या F.23- 3/15/18-6 भोपाल, तारीख 17.04.2015 को मंजूर और पुष्टि किया है। 2015 के विनियमान के विनियम 5(ई) में प्रावधान है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-संगत अवकाश लाभ का आदेश, बोर्ड के नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को 01.07.1973 से प्रभावी होकर दिया जाएगा जिसे म.प्र.

सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के अनुसार नियमित किया जाएगा। हालांकि, बोर्ड के उन नियमित अधिकारियों और सेवकों को, जो 1 जनवरी, 2005 को या उसके बाद नियुक्त किए गए थे, उन पर नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू होगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना स्व. कर्मचारी पर लागू नहीं होती थी, क्योंकि वह 1 जनवरी, 2005 को या उसके बाद नहीं नियुक्त हुए थे। इसलिए, प्रतिसादी-बोर्ड द्वारा स्व. मुन्नालाल के वेतन से राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ₹1940/- की कटौती में की गई गलती, सजीव लगती है।"

3. निम्नलिखित निर्णय से आग्रसित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड ने एक अपील की जिसे रिट अपील संख्या 1600 के रूप में पंजीकृत किया गया था, 2018, जिसे विभाजन पीठ ने, निर्णय तारीख 23rd जनवरी, 2020 को मंजूर किया और इसे ठहराया गया कि अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति को, जो कार्य प्रभार संस्था के सदस्य थे, पेंशन का अधिकार नहीं था क्योंकि उसे प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड के नियमित कर्मचारियों के साथ समान नहीं माना जा सकता था।

4. श्री एस.के. गंगेले, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय में एक त्रुटि हो गई है क्योंकि उसने ठहराया कि अपीलकर्ता के पति, जो प्रतिवादी संख्या1 - आवास बोर्ड के एक कार्य प्रभार कर्मचारी थे, पेंशन के लिए योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या1- आवास बोर्ड द्वारा जारी किए गए 29 अक्टूबर, 1997 के कार्यालय आदेश पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता के पति का नाम उक्त कार्यालय आदेश के एक हिस्से के रूप में बनाए गए सारणी में संख्या 5 पर आता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि वह आवास बोर्ड के एक नियमित कर्मचारी बन गए थे और वे एम.पी. कार्य प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी भर्ती और सेवा नियम, 1977 के प्रावधानों के तहत थे। जानकार वकील ने प्रस्तुत किया कि एम.पी. गृह निर्माण मंडल विधियाँ, 1998 की विधि 5(डी) के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन ऐसे कर्मचारी/उसके पारिवारिक को चुकाई जानी चाहिए और 06 सितंबर, 2018 को एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में पास किए गए निर्णय को पलटने का कोई यथार्थ नहीं था। अंत में, यह तर्क किया गया कि विवादित निर्णय ***प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** [2] में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

5. उपर्युक्त प्रस्तुति का विरोध करते हुए, श्री आर.सी. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड और इसके अधिकारियों के रूप में प्रतिवादियों संख्या 2 से 5 तक की ओर से उपस्थित हो रहे हैं और श्री सौरभ मिश्रा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 - मध्य प्रदेश राज्य की ओर से, विवादित निर्णय का समर्थन किया और जताया कि

अपीलकर्ता के पति को उसकी मृत्यु की तारीख तक नियमित नहीं किया गया था और वह एक कार्य प्रभार कर्मचारी बने रहे। अपीलकर्ता के वकील द्वारा आधारित 28 अक्टूबर, 1997 के वही कार्यालय आदेश को संदर्भित करते हुए, यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि उक्त आदेश के विर्तुद्ध, स्व. मुन्ना लाल बर्मन और अन्य समान रूप में स्थित दैनिक वेतन मस्टर रोल कर्मचारियों को, जो 26 मई, 1974 और 30 जून, 1981 के बीच प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड में काम कर रहे थे, कार्य प्रभार संस्थान में नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति की शर्तों और स्थितियों के अनुसार, एम.पी. कार्य प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारी भर्ती और सेवा नियम उन कर्मचारियों पर लागू किया गया था। स्पष्ट करते हुए कि जहां स्वर्गीय को नियुक्त किया गया था, वह एक गैर-पेंशन योग्य संस्थान था, प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड और वह 02 जुलाई, 2015 के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना३ में सम्मिलित हो सकते थे, जिसे उन्होंने नहीं किया, इसे कहा गया कि अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है और ***प्रेम सिंह (अपरोक्त)*** के मामले में निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता।

6. हमने पक्षकारों के वकील द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया है और रिकॉर्ड सहित संबंधित नियम और विनियमानुसार देखा है। हमारे विचार में आने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड के नियमित कर्मचारी थे और यदि नहीं, तो क्या स्वर्गीय का प्रतिवादी संख्या 1- आवास बोर्ड की संस्थान में कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में रहने पर भी अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन प्राप्त होगी उसकी मृत्यु की तारीख तक।

7. प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड एक सांविधिक और स्वायत्त संस्था है जो मध्य प्रदेश आवास और आधारिक विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1972 [4] के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों/निम्न आजीविका समूहों के लिए आवास योजनाओं का कार्यान्वयन 'लाभ न होने पर भी कोई हानि नहीं' के आधार पर करना है। सांविधिक और स्वायत्त संस्था होने के नाते, आवास बोर्ड अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए अपने नियम और नीतियां बनाता है। राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए तय किए गए नियम स्वतः आवास बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते, जब तक बोर्ड द्वारा विशेष रूप से अपनाया नहीं जाता है। इसे आवास बोर्ड अधिनियम की धाराओं 14, 15 और 16 की समीक्षा से साबित किया जा सकता है (जो बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित है; अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें तय करती है और बोर्ड को अपने अधिकारियों और सेवकों के प्रति सेवा विनियमन बनाने की शक्ति प्रदान करती है) और एम.पी. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 की समीक्षा से। उक्त नियमों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि उक्त नियम पाँच प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं

होंगे जिसमें 'कार्य प्रभार संस्थान में व्यक्तियों' को उक्त नियम की श्रेणी (ए) में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है। एम.पी. गृह निर्माण मंडल विनियमान, 1976 या मध्य प्रदेश आवास और आधारिक विकास बोर्ड (व्यापार की प्रवृत्ति और शक्तियों का प्रतिनिधित्व) विनियमान, 2015 में भी कार्य प्रभार कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

8. इस तथ्य को समझते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड की कार्य प्रभार संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित/प्रशासित करने के लिए कोई नियम नहीं थे, आवास बोर्ड के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक संख्या 229 में, जो 06 अप्रैल, 2015 को हुई थी, निम्नलिखित नियमों को अपनाने का सचेत निर्णय लिया था

i. मध्य प्रदेश कार्य प्रभार और आकस्मिकता भुगतान नौकरी और सेवा नियम, 1975 (नियम 4 से 8 को छोड़कर);
ii. मध्य प्रदेश कार्य प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1977; और
iii. कार्य प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों का ग्रैच्युटी लाभ नियम, 1962।

9. तत्पर संदर्भ के लिए, 06 अप्रैल, 2015 को आयोजित आवास बोर्ड के निदेशक मंडल के निर्णय का संबंधित संक्षेप निम्नलिखित है:

"2. बोर्ड में कहे गए कार्य प्रभार कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में कोई नियम या विधि नहीं बनाई गई या प्रावधान नहीं किया गया है। अलग सेवा की शर्तों का निर्धारण नहीं होने के कारण उनकी सेवाओं को नियमित करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

3. इसलिए बोर्ड में काम कर रहे कार्य प्रभारकृत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा सूचित निम्नलिखित नियमों को अपनाने का प्रस्ताव है -

(i) मॉडल नियम "मध्य प्रदेश -------- विभाग कार्य-प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1975" (नियम संख्या 4 से 8 को छोड़कर सभी नियम) जो मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र'नं। D-34/444/1(three)/VOK/75 भोपाल दिनांक 29.09.1975 के माध्यम से बनाया गया। (परिशिष्ट-1)

(ii) “म.प्र. कार्य-प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों के अवकाश नियम, 1972”। (परिशिष्ट-2)

(iii)“कार्य-प्रभार स्टाफ और आकस्मिकता भुगतान स्टाफ (ग्रैच्युटी लाभ) नियम, 1962"। (परिशिष्ट-3)

4. बोर्ड में काम कर रहे कार्य-प्रभारकृत कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता, जबकि अन्य कार्य विभागों में कार्य-प्रभार स्थापना के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश (कार्य-प्रभार और आकस्मिकता भुगतान कर्मचारियों) पेंशन नियम, 1979 के तहत पेंशन मिलती है। वर्तमान में कहे गए नियम बोर्ड के कर्मचारियों के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। म.प्र. दैनिक वेतन कर्मचारी (नियम की स्थिति), नियम 2013 (परिशिष्ट -4) को बोर्ड के दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है जिससे उन्हें PFRDA द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाया गया है। कार्य-प्रभारकृत कर्मचारियों के लिए भी पेंशन का प्रस्ताव PFRDA के तहत है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

(1) PFRDA द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो मध्य प्रदेश राज्य में 1 मई, 2009 से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लागू की गई है,
(2) कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है और पेंशन का लाभ उठा सकता है।
(3) उप-नियम (2) के तहत कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प के मामले में, उसके वेतन से दस प्रतिशत की तुल्य राशि कटौती की जाएगी और सरकार भी समान राशि का योगदान करेगी और इसे कर्मचारी के स्थायी खाते में जमा करेगी और समेकित राशि और उस पर स्वीकृत ब्याज की राशि उसके सेवानिवृत्ति पर चुकाई जाएगी।

10. उपरोक्त से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश (वर्क-चार्ज्ड और कंटिंजेंसी पेड़ एम्प्लॉयीज़) पेंशन नियम,1979 को प्रतिवादी संख्या 1 - आवास मंडलने अपनाया नहीं था और म.प्र. सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1976 आवास मंडलकी कार्य प्रभारित स्थापनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को कवर नहीं करते थे। म.प्र. वर्क-चार्ज्ड और कंटिंजेंसी पेड़ एम्प्लॉयीज़ पेंशन नियम, 1979 को भी प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड के वर्क चार्ज्ड कर्मचारियों पर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल विनियमन, 1998 के अंतर्गत या मध्य प्रदेश आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बोर्ड (व्यावसायिक क्रियावली और शक्तियों का प्रतिनिधित्व) विनियमन, 2015 के तहत लागू नहीं किया गया था। ध्यान में रखते हुए कि म.प्र. दैनिक वेतन कर्मचारी (नियम की स्थिति), नियम 2013 को आवास बोर्ड के दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए अपनाया गया था

जिससे उन्हें NPS में लाया गया था, वहीं योजना कार्य प्रभारित कर्मचारी को भी देने का निर्णय लिया गया था।

11. प्रतिवादी संख्या 1 - आवास बोर्ड के निदेशक परिषद् द्वारा उपरोक्त निर्णय के अनुसार, 2nd जुलाई, 2015 को एक आदेश जारी किया गया था जिससे राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों को अपनाकर और उन्हें पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण 5 द्वारा प्रबंधित NPS के दायरे में लाकर कार्यभारित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गईं। 2nd जुलाई, 2015 के आदेश की अनुच्छेद 8 यहां संदर्भ के लिए प्रस्तुत की गई है और यह नीचे पुन: प्रतिलिपित की गई है:

"8. पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजनाको मध्य प्रदेश पर लागू किया गया है, जो 1मई 2009 से मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए प्रभावी है। पी.एफ.आर.डी.ए द्वारा नियमित राष्ट्रीय पेंशन योजनाके तहत बोर्ड के कार्य प्रभारित कर्मचारी को पेंशन भुगतान की जाएगी, जिसका संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है:-

1) कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का सदस्य बनने का विकल्प चुन सकता है और पेंशन का लाभ उठा सकता है।

2) उपरोक्त उप-नियम(1) के तहत कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प के मामले में, उसकी वेतन/मजदूरी से 10% का योगदान काटा जाएगा, और बोर्ड द्वारा बराबर का योगदान दिया जाएगा, और इसे उसके स्थायी खाते में जमा किया जाएगा और संचित राशि के साथ स्वीकृत ब्याज उसे उसकी सेवानिवृत्ति पर दिया जाएगा। पेंशन का योगदान खाता शीर्षक-54 के तहत दिया जाएगा।"

12. 19th सितंबर, 2020 को हमारे सामने प्रस्तुत की गई तर्कों के दौरान, हमने उत्तरदाताओं के विद्यार्थी वकील से विशेष रूप से पूछा था कि क्या उपरोक्त कार्यालय आदेश को प्रतिवादी संख्या 1 - आवास मंडलके वर्क चार्ज्ड स्थापनाओं के कर्मचारियों को सूचित किया गया था ताकि वे NPS के सदस्य बनने का विकल्प कर सकें, और क्या उस कर्मचारियों में से इस्तीफादे के लाभ के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता के स्वर्गीय पति भी शामिल थे। इसके उत्तर में, 15th सितंबर, 2022 को प्रतिवादी संख्या 1 - आवास मंडलकी ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें इंटर अलिया बताया गया है कि 2nd जुलाई, 2015 के आदेश की सामग्री, आवास मंडल के कार्य प्रभारित कर्मचारी को NPS के तहत विकल्प प्रदान करने के लिए सभी संबंधित लोगों को ध्यानपूर्वक सूचित की गई थी, आदेश के तले संलग्नक क्रमांक 12 के निर्देशों के अनुसार, जिसमें इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। हलफनामा आगे बताता है कि आवास मंडलके सभी कार्य प्रभारित कर्मचारी

से संबंधित विकल्प मांगने वाले उपरोक्त आदेश का उत्तर, 48 ऐसे कर्मचारियों में से केवल 16 ने NPS का लाभ उठाने का विकल्प चुना। उक्त आदेश की धारा 8 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि यदि कोई कर्मचारी पेंशन का विकल्प चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है अपना विकल्प देकर और उसके बाद, उसकी प्राप्य सैलरी का 10% हर महीने उसके खाते से कटा जाएगा और प्रतिसादी नंबर 1 - आवास मंडल उसी राशि का योगदान करेगा अपने हिस्से का हर महीने। इस प्रकार, विकल्प जो प्रतिसादी नंबर 1 - आवास मंडलके कार्य प्रभारित कर्मचारी को उपलब्ध कराया गया था, वह था अनुच्छेद 8 में उल्लेखित विकल्प, जो कि आदेश दिनांक 02nd जुलाई, 2015 को दिया गया था, अर्थात, NPS हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, उनके जीवन काल में, अपीलांत के पति ने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना था।

13. ***प्रेम सिंह (अपरोक्त)*** के मामले का निर्णय जो अपीलांत की ओर से उद्धृत किया गया था, उस संबंधित प्रश्न उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1961 के नियम 3(8) और उत्तर प्रदेश सिविल सेवाएं विनियमन 370 की वैधता से संबंधित था। एक पृष्ठभूमि में जहाँ इस अदालत ने पहले ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को ***केसर चंद बनाम स्टेट ऑफ पंजाब[6],*** के मामले में स्वीकार किया था, जो पंजाब राज्य में बनाए गए pari materia प्रावधानों से संबंधित था, जिसमें पेंशन की अनुमति के लिए योग्य सेवा की गणना से काम चार्ज्ड सेवाओं की अवधि को बाहर कर दिया गया था, इस अदालत की तीन जज की पीठ ने इस पक्ष पर कई निर्णयों का परीक्षण किया और उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1961 के नियम 3(8) और सिविल सेवा विनियमन 370 के नोट को परुस करने पर निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि उक्त मामले में अपीलांत की सेवा को एक रिक्त पद पर नियमित कर दिया गया था, नियम 3(8) को उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 1961 के संबंध में उसकी नियमन से पहले ही द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति पढ़ा जाना चाहिए और एक चार्ज्ड कर्मचारी/आकस्मिकता भुगतान कोष कर्मचारी या गैर-पेंशनयोग्य स्थापना कर्मचारी की क्षमता में बिताई गई अवधि को इस प्रकार के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए योग्य सेवा की ओर गिना जाना चाहिए।

14. हाथ में मामले में तथ्य स्थिति पूरी तरह से अलग है। अपीलांत के दिवंगत पति ने उनकी मृत्यु की तारीख 26th अप्रैल, 2016 तक एक वर्क चार्ज्ड कर्मचारी रहे थे। उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई थीं। ऑफिस आदेश दिनांक 29th अक्टूबर, 1997 का अपीलांत द्वारा उल्लेख कर के कहना कि अपीलांत के दिवंगत पति की सेवाएं नियमित की गई थीं, यह गलत पढ़ा जा रहा है, जैसा कि उक्त आदेश के पहले अनुच्छेद से स्पष्ट हो सकता है जो कहता है कि 26th मई, से 30th जून, 1981 तक काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर मध्य प्रदेश कार्यभारित **और** आकस्मिक भुगतान कर्मचारियों अवकाश नियम, 1977 **को उन पर लागू किया जा रहा** था। हमने ऊपर देखा है कि उक्त नियम कभी प्रतिसादी नं. 1 - **आवास मंडल द्वारा**

अपनाए जाने या उसके कार्य प्रभारित कर्मचारी तक विस्तारित नहीं किए गए थे। कार्य प्रभारित स्थापनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित रिक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिसादी नं.1 - आवास मंडलके निदेशकों की बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया और 6th अप्रैल, 2015 को निर्णय लिया कि उक्त कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे में लाकर उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा और उन्हें उक्त योजना के सदस्य बनने का विकल्प दिया गया था ताकि वह पेंशन का लाभ उठा सकें। चूंकि उसके दिवंगत पति ने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना था,अपीलांत उसकी मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की भुगतान का दावा नहीं कर सकती है।

15. हम इसलिए ठहराते हैं कि अपीलांत के दिवंगत पति प्रतिवादी संख्या 1 - आवास मंडलके एक नियमित कर्मचारी नहीं थे। वह उनकी मृत्यु की तारीख तक आवास मंडलकी स्थापना में एक वर्क चार्ज्ड कर्मचारी रहे थे। उसी क्षमता में सेवा करते हुए भी, अपीलांत के दिवंगत पति ने 2nd जुलाई, 2015 को दिए गए आदेश के अनुसार प्रतिवादी संख्या-1 - आवास मंडलके कार्य प्रभारित कर्मचारी के लिए उपलब्ध कराई गई एनपीएस के तहत पेंशन का विकल्प चुन सकते थे। पर उन्होंने उक्त योजना का विकल्प नहीं चुना। इसलिए, अपीलांत को प्रतिवादी संख्या-1 - आवास मंडलसे पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

16. उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमें विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कारण नहीं मिलता, जिसे बरकरार रखा गया है। वर्तमान अपील को, इस प्रकार, खारिज कर दिया जाता है, जबकि पार्टियों को उनके अपने खर्चे उठाने को छोड़ दिया गया है।

बिभूति भूषण बोस अपील खारिज कर दिया जाता है,
(सहायता कर रहे हैं : राखी, एलसीआरए)

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित